<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

अपील डिक्री/टी0ए0/5264/2003/बांसवाडा

1. शंकरलाल पुत्र मंगला जाति खाटं मृतक जरिये वारिसान
   1/1. राजेश
   1/2 अजय
   1/3. विजय
   1/4. इन्द्रजीत सिंह
   1/5. जितेन्द्र
   पुत्रगण शंकरलाल
   1/6. श्रीमती रूकमणी पत्नि शंकरलाल
2. गणेशलाल पुत्र मंगलाराम मृतक जरिये वारिसान
   2/1 दीपक पुत्र
   2/2 धनोबाई पत्नि
   2/3 विष्णु बाई पुत्री
   2/4 संतोष बाई पुत्री
   2/5 अनिता बाई पुत्री
   समस्त जाति खांट निवासी बांसवाडा।

अपीलांट्स....

बनाम

1. उदा जी महाराज व्यवस्थापक बद्रीदास मेहता मृतक जरिये वारिसान
   1/1 मनोरमा महेता पत्नि
   1/2 नीलमश पुत्री
   1/3 नीरज पुत्र
   1/4 नितीन पुत्र
   1/5 निशान्त पुत्र
   समस्त जाति मेहता निवासी काली कल्याण धाम
2. उदाजी महाराज की दतरी बेएतमाम सोहनलाल पुत्र कन्हैयालाल मृतक जरिये वारिसान
   2/1 मोहनी शाह पत्नि
   2/2 रागिनी पुत्री
   2/3 ब्रजेश पुत्र
   2/4 राघवेन्द्र पुत्र

समस्त जाति मेहता निवासी मोहन कॉलोनी सिटी कोतवाली के पास बांसवाडा।

2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार।

रेस्पो0 ....

खण्डपीठ
श्री आर0डी0मीणा, सदस्य
कमला अलारिया, सदस्य

उपस्थितिः–
श्री सुनील पारीक अभिभाषक अपीलांटस
श्री एस.के.शर्मा, अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय

दिनांकः 04.06.25

1– यह अपील अंतर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर दिनांक 02–08–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांट ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बांसवाडा के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण मृतक मंगला के वारिसान है। वादीगण के पिता मंगला पुत्र चमना खाट के नाम विवादित आराजी ख0न0 2021 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा भूमि ग्राम बांसवाडा में स्थित है। उक्त विवादित आराजी पर वादीगण के पिता मंगला संवत 2008 से निरंतर काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है। वादीगण के पिता मंगला के फौत होने पर वादीगण उक्त आराजी बतौर वारिस काबिज काश्त है। दोनों वादीगण उक्त विवादित आराजी पर कवेलू पोश मकान बनाकर सपरिवार निवास करते रहे है। वादीगण के अनुसार उक्त विवादित आराजी के पास प्राचीन समय से उदाजी महाराज की छतरी थी जो वर्तमान में काली कल्याण धाम के नाम से जानी जाती है। जिसके चारों ओर प्रतिवादी संख्या 2 ने चार दिवारी कर रखी है। उक्त विवादित आराजी पर प्रतिवादी संख्या 2 का कोई हक व अधिकार नहीं है। वादीगण के पिता के अनपढ होने का फायदा उठाते हुये ख0न0 2021 में प्रतिवादी संख्या 2 ने खसरा गिरदावरी में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम दर्ज करवा लिया।

विवादित आराजी का लगान भी वादीगण अदा करते आये है तथा मौके पर कब्जा काश्त भी वादीगण का ही है। उदाजी महाराज की छतरी व समाधि की भूमि वादीगण के उक्त खेत के पास है। इसलिए गलत इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा जबाव दावा प्रस्तुत करते हुये वाद के कथनों को अस्वीकार किया व वाद वादीगण खारिज करने का निवेदन किया । विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बांसवाडा ने दावा व जबाव दावा के आधार पर 4 तनकीयात कायम करते हुये राजस्व रिकार्ड व गवाहान के बयान को दृष्टिगत रखते हुये वादीगण का वाद अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 19.06.2001 से खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बांसवाडा के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 19.06.2001 से व्यथित होकर वादीगण/अपीलांट्स द्वारा प्रथम अपील न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत की। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 02.0.8.2003 से वादीगण/अपीलांट्स की अपील अस्वीकार कर दी। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्व यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील प्रकरण में सुनी गयी।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलांट/वादीगण के पिता मंगला पुत्र चमना खाट के नाम विवादित आराजी ख0न0 2021 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा भूमि ग्राम बांसवाडा में स्थित है। उक्त विवादित आराजी पर अपीलांट/वादीगण के पिता मंगला संवत 2008 से निरंतर काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है। अपीलांट/वादीगण के पिता मंगला के फौत होने पर अपीलांट/वादीगण उक्त आराजी बतौर वारिस काबिज काश्त है। दोनों वादीगण उक्त विवादित आराजी पर कवेलू पोश मकान बनाकर सपरिवार निवास करते रहे है। वादीगण के अनुसार उक्त विवादित आराजी के पास प्राचीन समय से उदाजी महाराज की छतरी थी जो वर्तमान में काली कल्याण धाम के नाम से जानी जाती है। जिसके चारों ओर प्रतिवादी संख्या 2 ने चार दिवारी कर रखी है। उक्त विवादित आराजी पर प्रतिवादी संख्या 2 का कोई हक व अधिकार नहीं है। वादीगण के पिता के अनपढ होने का फायदा उठाते हुये ख0न0 2021 में प्रतिवादी संख्या 2 ने खसरा गिरदावरी में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम

दर्ज करवा लिया। विवादित आराजी का लगान भी वादीगण अदा करते आये है तथा मौके पर कब्जा काश्त भी वादीगण का ही है। परन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त तथ्यों के नजरअंदाज करते हुये निर्णय व डिक्री पारित किये है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि छतरी को मंदिर मानने के लिए दोनेां अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं थी। छतरी मात्र किसी मृत व्यक्ति के दाह संस्कार के स्थान पर उसक पूर्वजों द्वारा यादगार में बनाई जाती है। जिसे दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने मंदिर मानकर कर वाद व अपील का निर्णय कर दिया। छतरी की भूमि को मंदिर की भूमि मानकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत खातेदारी अधिकार नहीं देने का आदेश पारित किया है वह विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि राजस्व रिकार्ड व प्रस्तुत खसरा गिरदावरी व साक्ष्यों के आधार पर अपीलांट/वादीगण ने अपना कब्जा काश्त होना साबित किया है परन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायलयों ने उक्त समस्त दस्तावेज व तथ्यों को नजरअदांज करते हुये अपना निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने 1960 ए0आइ0आर0 पेज 100, 2003 आर0आर0टी0 पेज 88, 1990 आर0आर0डी0 पेज 342, 2012 ए0आई.आर. पेज 264 आदि न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी प्राचीन समय से ही उदाजी महाराज की छतरी बनी होकर यह भूमि मंदिर मूर्ति की है और इसी अनुसार इस पर वास्तविक कब्जा व आधिपत्य उदाजी महाराज का है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि उदाजी महाराज की छतरी मूर्ति मंदिर है जो वर्तमान में काली कल्याणी धाम के नाम से जानी जाती है। मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है मंदिर मूर्ति की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं होते है। अपीलांट/वादीगण द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी संवत 2008 से 2011 में वादग्रस्त भूमि उदाजी महाराज की छतरी के नाम दर्ज है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के तहत भी उप काश्तकार की हैसीयत से भी वादीगण को कोई हक अथवा स्वत्व हासिल नहीं हो सकते है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलांट/वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय अर्थात दिनांक 1.10.1955 को विवादित आराजी के ना तो काश्तकार थे तथा ना ही भूमि पर बतौर शिकमी काश्तकारी दर्ज थे। क्योंकि मंदिर मूर्ति की भूमि को सब लेट नहीं किया जा सकता और ना ही

किसी पुजारी अथवा संस्थापक को मंदिर की भूमि सब लेट करने का अधिकार है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को विधिसम्मत बताते हुये प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया ।

6. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली व उस पर उपलब्ध रिकार्ड तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का गहनता से ससम्मान अध्ययन किया गया।

7– पत्रावली व रिकार्ड का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि उदाजी महाराज की छतरी मूर्ति मंदिर है जिसे मंदिर काली कल्याणी धाम के नाम से जाता है। मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है तथा मंदिर की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं होती है। राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि संवत 2008 से 2011 की खसरा गिरदावरी में विवादित आराजी उदाजी महाराज की छतरी के नाम दर्ज है तथा संवत 2010 में 1/2 भाग मंगला/चमना के नाम से कब्जा दर्ज है। खसरा गिरदावरी संवत 2016 से 2019 में मंगला का नाम विशेष कालम में दर्ज है तथा खातेदार के कॉलम में उदाजी महाराज की छतरी बएतमाम हरिगिर गुरू रामगिर साधु साकिन लखनउहाल देह दर्ज है, खसरा गिरदावरी संवत 2020 से 2023 में विवादित आराजी उदाजी महाराज की छतरी एहतमाम सोहनलाल दर्ज है। इस प्रकार संवत 2008 से विवादित आराजी उदाजी महाराज की छतरी के नाम दर्ज है। अपीलांट का उक्त विवादित आराजी पर किस हैसयित से नाम दर्ज है यह साबित करने में अपीलांट असमर्थ रहा है। यहां यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि अपीलांट/वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय अर्थात दिनांक 1.10.1955 को विवादित आराजी के ना तो काश्तकार दर्ज थे तथा ना ही भूमि पर बतौर शिकमी काश्तकारी दर्ज थे। किसी भी पुजारी अथवा संस्थापक को मंदिर मूर्ति की भूमि को सबलेट करने का अधिकार नहीं है। मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग है और मूर्ति मंदिर की भूमियों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। मंदिर की खुदकाश्त भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा काश्त करने पर भी वह मंदिर की खुदकाश्त मानी जावेगी। अपीलांट ने विवादित आराजी पर कब्जे के संबंध में किसी प्रकार का राजस्व अभिलेख यथा जमाबंदी आदि प्रस्तुत नहीं की है। केवल खसरा गिरदावरी पेश की है जिसके आधार पर खातेदारी चाही गयी है जबकि माननीय मंडल की वृहद्धपीठ द्वारा एडवर्श पजेशन के आधार पर खातेदारी नहीं देने का अभिमत पारित किया गया है। विद्वान अभिभाषक द्वारा

प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण के तथ्यों के परिपेक्ष्य में तदसमान रूप से चस्पा नहीं होने से अपीलांट कोई राहत प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण में समवर्ती निष्कर्ष व समवर्ती निर्णय पारित किये है, जिसमें किसी प्रकार की विधि एवं तथ्य संबंधी त्रुटि/अनियमितता नहीं पाये जाने के कारण हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

8. परिणामतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक क्रमशः न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकरी, बांसवाडा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02-08-2003 व न्यायायल उपखण्ड अधिकारी, बांसवाडा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19-06-2001 बहाल रखे जाते है।

9. निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
सदस्य

(आर.डी0मीणा)
सदस्य